राज्यपाल अभिभाषण–2024
अत्यावश्यक/आज ही जारी हो।

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांकः प0 1(4)मं.म/2023 जयपुर, दिनांकः 18.12.2023

–:: परिपत्र ::–

राजस्थान विधान सभा का आगामी सत्र अति शीघ्र ही आरम्भ होने की संभावना है, जिसमें माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा अभिभाषण पढा जावेगा। इस अभिभाषण में यथा संभव राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष के कार्य, वर्तमान सरकार के चुनाव घोषणा पत्र को ध्यान में रखते हुए आगामी वित्तीय वर्ष में जिन योजनाओं एवं कार्यक्रमों को आरम्भ किया जावेगा उनका भी संक्षिप्त विवरण सम्मिलित होगा।

अतः निवेदन है कि महामहिम राज्यपाल महोदय के इस अभिभाषण में सम्मिलित करने हेतु आपके विभाग से संबंधित सामग्री सरल हिन्दी भाषा में संकलित कर तीन–तीन प्रतियों में मय साफ्ट कॉपी के निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए, इस सचिवालय को **आज ही** आवश्यक रूप से प्रेषित की जायेः–

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव एवं विशिष्ठ शासन सचिव अपने अधीन विभागाध्यक्षों को यह निर्देश दें कि वे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सम्मिलित किये जाने योग्य सामग्री तत्काल प्रशासनिक विभाग को भिजवा दें।

2. विभागाध्यक्ष अपने स्तर पर प्रशासनिक सचिवों को भेजी जाने वाली उस महत्वपूर्ण सूचना का ही संकलन करें, जिसका राज्यपाल अभिभाषण में सम्मिलित किया जाना वांछनीय हो और जो विभाग की उपलब्धियों/भावी कार्यक्रमों पर प्रकाश डालती हो।

3. सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव एवं विशिष्ठ शासन सचिव अपने स्तर पर केवल उतनी ही सामग्री का अभिभाषण के लिये चयन करें, जिसका अभिभाषण में सम्मिलित किया जाना परमावश्यक हो। यथा संभव संकलित सामग्री दो पृष्ठ से अधिक ना हो, ताकि उसको अधिक संक्षिप्त करने में इस सचिवालय को अधिक काट–छांट नहीं करनी पड़े।
4. राज्यपाल अभिभाषण के लिये भेजी जाने वाली सामग्री में जहाँ कहीं भी उपलब्धियों अथवा धनराशि से संबंधी आंकड़े दिये जावें, वे शब्दों में अंकित किये जावें।

क्रमशः.........................2

5. इस सचिवालय को भेजी जाने वाली सामग्री संबंधित अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव से प्रमाणिकरण के उपरान्त प्रेषित करें।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें एवं माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सम्मिलित की जाने वाली विषय सामग्री सरल हिन्दी भाषा में **आज ही** मय सोफ्ट कॉपी इस सचिवालय को निश्चित रूप से प्रेषित की जावें।

(दिनेश कुमार)
प्रमुख शासन सचिव

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिवगण/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष।
3. सचिवालय के समस्त विभाग/अनुभाग एवं प्रकोष्ठ।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर प्राप्त सामग्री का संक्षिप्तिकरण कर उपलब्ध करावें।
4. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग को मंत्रिमण्डल सचिवालय की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

13/12.
प्रमुख शासन सचिव